

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक C/2327 /
दो-14-7/07

जबलपुर, दिनांक 23/09/2020.

श्रीमती रीना पार्थो सरकार, Secretary to the Judge, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 29.06.2020 से 11.08.2020 तक (44 दिवस) का गर्भपात अवकाश (Abortion Leave) स्वीकृत किया गया है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/2328 /
दो-14-7/07

जबलपुर, दिनांक 23/09/2020.

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/अवकाश/723-ए/1158/इंदौर, दिनांक 21.08.2020 के संदर्भ में श्रीमती रीना पार्थो सरकार, Secretary to the Judge, का अवकाश आवेदन पत्र चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा पर्ची वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार
2. ✓ चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(किशोर पिठवे)
रजिस्ट्रार -कम-पीपीएस

